## न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप सागर म.प्र.

राजकुमार कुर्मी आयु करीब 38 साल वल्द स्व. श्री जीवन कुर्मी पेशा कृषि कार्य निवासी ग्राम गिदवानी तह. जिला सागर म0प्र0 .... ...... ......... ....... ............ .................... .................... **अपीलार्थी**

**विरूद्ध**

म.प्र. शासन ........................ .......................... **प्रतिअपीलार्थी**

**अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959**

**अपीलार्थी विनम्र प्रार्थी है –:**

**1– यह कि** अपीलार्थी यह अपील न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 243बी/121 वर्ष 2013–2014 राजकुमार विरूद्ध म.प्र. शासन मे पारित आदेश दिनांक 3–3–2014 से दुखित होकर यह द्वितीय अपील निम्नलिखित तथ्य एवं आधार पर प्रस्तुत करता है

**प्रकरण के तथ्य –:**

**2– यह कि** अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 35बी/121 वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13–2–13 से दुखित होकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24–1–14 को प्रथम अपील प्रस्तुत की थी । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को गुण दोषो पर सुनवाई किये वगैर उक्त अपील म्याद अधिनियम की धारा 5 पर ही उक्त अपील खारिज कर दी इस कारण उक्त द्वितीय अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गयी है ।

(1)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1728–तीन/14 जिला–सागर

| स्थान व दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 06–01–15<br>सागर कैम्प | अपीलार्थी पक्ष अनुपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह अपील प्रकरण अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 243/बी–121/13–14 में पारित आदेश दिनांक 3–3–14 से दुखित होकर इस न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं पाते हुये प्रकरण निरस्त किया है । जिसकी अपील ग्राह्य योग्य नहीं होने से प्रथमदृष्टया यह प्रकरण सुनवाई हेतु अग्राह्य किया जाता है।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |